प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 28 जुलाई, 2021

विषय: आर0सी0एस0 एयरपोर्ट आगरा पर सुरक्षा सेवाओं के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 90/आर0सी0एस0-2021-एस-3/2019 दिनांक 15 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित आगरा एयरपोर्ट से संचालित उड़ानों के लिए प्रदान की गयी सुरक्षा सेवाओं तथा सुरक्षा उपकरणों के किराए हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 1,99,09,208/- (रूपए एक करोड़ निन्यानवे लाख नौ हजार दो सौ आठ मात्र) के बिल का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	**पत्र संख्या**	**अवधि**	**वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि (रु0)**
1.	भाविप्रा/आगरा/वित्त/40-42/395-96 दिनांक 12.03.2021 एवं भाविप्रा/आगरा/वित्त/17-19/587-90 दिनांक 19.04.2021	दिसम्बर, 2020 - मार्च, 2021	1,99,09,208

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(c) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 हवाईअड्डों पर सुरक्षा तथा अग्निशमन सम्बन्धी सेवायें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं ।

अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित आगरा एयरपोर्ट पर प्रदान की गयी सुरक्षा सेवाओं हेतु उक्त विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 1,99,09,208/- (रूपए एक करोड़ निन्यानवे लाख नौ हजार दो सौ आठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 1,99,09,208/- (रूपए एक करोड़ निन्यानवे लाख नौ हजार दो सौ आठ मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा ।

III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा ।

V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा ''लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मानक मद 42 अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

पृ0सं0: 71/2021/1167(1)/छप्पन-2021-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in